निगम की सामान्य सभा संपन्न

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की सामान्य सभा आज निगम के सभागार में आयोजित हुई। सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई सभा में 18 विषय निगम के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें से 2 विषय पर चर्चा उपरांत शेष 16 विषय को बहुमत के आधार पर पारित किया गया। सभा के प्रारंभ में आयुक्त रोहित व्यास ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सदन में उपस्थित महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई। इसके पश्चात महापौर नीरज पाल ने भिलाई निगम के सदन के 23 वर्ष पूर्ण होने पर इसके गरिमामय इतिहास के अपने अनुभव को सदन में साझा किए। वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व महापौर स्व. विद्यारतन भसीन के निधन पर सदन ने उन्हें अपनी मौन श्रद्धांजलि अर्पित किए। अध्यक्ष गिरवर बंटी साहू ने सदन को 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की। 11ः10 मिनट पर सदन की कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा पुनः प्रारंभ की गई। सामान्य सभा में 18 विषय का एजेंडा प्रस्तुत किया गया जिसमें जोन 03 वार्ड 37 संत रविदास नगर में स्थित उद्यान का नाम स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर नामांकरण एवं मूर्ति स्थापना करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया इसके अलावा वार्ड क्र. 25 संतोषीपारा तेल्हानाला (करूणा अस्पताल से गौरव पथ तक) विकास कार्य पर चर्चा करने के बाद विषय को पारित किया गया। सदन में प्रस्तुत शेष विषय जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत 500 सीट शहरी महिला आजीविका केन्द्र का निर्माण कार्य, जाति/मूल निवास की उद्घोषणा, नगर पालिक निगम भिलाई के नए क्ष्लोगो/मोनोश् के सृजन, टाउनशिप क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वार्डो में स्कोप आॅफ वर्क के अन्तर्गत नाली, सड़क, बाजार एवं तिपहिये रिक्शे/ई-रिक्शा से आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य तथा अन्य कार्य, निगम के विभिन्न क्षेत्रों (योजनाओं) में रिक्त आवासीय/व्यवसायिक/आवास सह व्यवसायिक भूखण्डों के अंतरण के संबंध में, घासीदास नगर मैदान का नामकरण, विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण कार्य, साडा भिलाई के समय आबंटित (व्यवस्थापित) प्रकरण जिसमें आॅफर की पूर्ण राशि जमा हो चुकी है किन्तु पंजीयन नही हुआ के संबंध में, सुपेला पुरानी बस्ती आबादी भूमि में निवासरत परिवारों को आबादी पट्टा/स्थायी मालिकाना हक प्रदान करने, निगम द्वारा विभिन्न आवासीय, आवास सह व्यवसायिक एवं व्यवसायिक योजनाओं में आबंटित 300 भूखण्डों के संबंध में विचार, निगम भिलाई क्षेत्र में निर्मित सामाजिक भवन जो बिना भू-आबंटन/बिना अनुमति के निर्मित किये गये है उनके आबंटन के संबंध में, जोन 04 खुर्सीपार क्षेत्र में बीपीओ काॅल सेंटर खोले जाने, जोन क्र. 01 नेहरू नगर स्थित जी.ई. रोड से लगे हुये उद्यान क्र. 03 के व्यवसायिक उपयोग, संचालन एवं संधारण कार्य, केनाल रोड निर्माण में प्रभावित व्यवसायिक का वैकल्पिक व्यवस्थापन, भिलाई निगम क्षेत्रांतर्गत मदर्स मार्केट पावर हाउस में ”सी” मार्ट संचालन एवं संधारण करने के संबंधित विषयों को बहुमत के आधार पर पारित किया गया।